UPLK010100272026

Court Of The Additional District and Sessions Judge Court No 4, Lucknow

पीठासीन अधिकारी– (Sri Abhinay Kumar Mishra), (उ०प्र० न्यायिक सेवा) – UP06239

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–4950/2026 (अं०धारा 482 बी०एन०एस०एस०)

नजमा खातून, उम्र– लगभग 62 वर्ष, पत्नी– स्व० मो० नफीस, निवासिनी– 497/अ, बाबूगंज, गीता स्कूल निरालानगर, जिला लखनऊ।

..... प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ० प्र० सरकार .....विपक्षी

वाद संख्या–422/2012
मु०अ०सं०–386/2012
धारा–135 विद्युत अधिनियम,
थाना–चिनहट, जिला–लखनऊ।

दिनांकः 29.07.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त **नजमा खातून** का अग्रिम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत हुआ है। उक्त अग्रिम जमानत आवेदन के सम्बन्ध में प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्को को सुना गया।

2. संक्षेप मे मामले के तथ्य इस प्रकार है कि वादी मुकदमा द्वारा इस आशय की रिपोर्ट संबंधित थाने में दर्ज करायी गयी कि विद्युत चोरी रोकथाम एवं चेकिंग हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत विद्युत विभाग द्वारा दिनांक 03.11.2012 को विद्युत विभाग की टीम द्वारा स्थान– बाबूगंज, थाना चिनहट, लखनऊ, में विशेष चेकिंग अभियान के दौरान पाया गया कि, आप उपभोक्ता द्वारा लाइन से सीधे 2 कोर काली केबिल मोड़कर लगभग 05 कि०व० विद्युत भार की वाणिज्यिक विधा की विद्युत चोरी होते पाया गया। उपभोक्ता का यह कृत्य भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा–135 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः प्राथमिकी दर्ज करने की प्रार्थना की गयी।

3. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अग्रिम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में आधार लिए गए है कि, प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त घटना में किसी प्रकार का कोई वास्ता एवं सरोकार नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त को उपरोक्त मुकदमा में झूठा तथा फर्जी तरीके से तथा हैरान व परेशान करने की नियत से फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा कोई भी अपराध उपरोक्त धारा एवं मु०अ०सं० के अन्तर्गत कारित नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष है। प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। दिनांक 03.11.2012 को घटी घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। एफ.आई.आर. में लगाए गए आरोपों के अनुसार, आप उपभोक्ता द्वारा लाइन से सीधे 2 कोर काली केबिल मोड़कर लगभग 05 कि०व० विद्युत भार की वाणिज्यिक विधा की विद्युत चोरी होते पाया गया। जो भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 के अंतर्गत अपराध है। प्रार्थी/अभियुक्त का उपरोक्त मुकदमा तथा अपराध संख्या से कोई मतलब व सरोकार नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई भी

आपराधिक इतिहास नहीं है। उक्त आधारो पर प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गयी।

4. विद्वान विशेष लोक अभियोजक की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा गया है कि अभियुक्त द्वारा विद्युत चोरी की गयी है। अतः अग्रिम जमानत पत्र खारिज किया जाये।

5. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्को को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी/अभियुक्त नजमा खातून पर यह आरोप है कि विद्युत विभाग की टीम के द्वारा चेकिंग के दौरान पाया गया कि आप उपभोक्ता द्वारा लाइन से सीधे 2 कोर काली केबिल मोड़कर लगभग 05 कि०व० विद्युत भार की वाणिज्यिक विधा की विद्युत चोरी होते पाया गया। अभियुक्त का तर्क है कि वह निर्दोष है तथा उसे झूठा फंसाया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ कि प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना पूर्ण हो चुकी है। विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा अभियुक्त को धारा 41(1) सी.आर.पी.सी. की नोटिस प्राप्त कराई गई थी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा विवेचना कार्यवाही में सहयोग किया गया है, एवं प्रकरण में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। अभियुक्त स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास दर्शित नहीं किया गया है। उपरोक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **नजमा खातून** द्वारा प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–4950/2026, मु०अ०सं०–386/2012, धारा–135 विद्युत अधिनियम, थाना–चिनहट, जिला–लखनऊ **स्वीकार** किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा मुबलिग 25,000/–रुपये (पच्चीस हजार रूपये) का निजी बंध पत्र एवं समान धनराशि के एक प्रतिभू दाखिल किए जाने पर उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये।

(अभिनय कुमार मिश्रा)
विशेष न्यायाधीश, ई०सी० ऐक्ट/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–4,
लखनऊ